भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2194
जिसका उत्तर गुरुवार, 21 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

देश में कार्यरत ग्राम न्यायालयों की संख्या

2194 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने ग्राम न्यायालय कम्प्यूटरीकृत और तकनीकी रूप से सक्षम हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश के ग्राम न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ग्रामीण स्तर पर लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के निबंधनों के अनुसार, इस अधिनियम द्वारा ग्राम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन से, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर संलग्न पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, संलग्न ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकती है। तथापि, अधिनियम ग्राम न्यायालय की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है। कार्यरत ग्राम न्यायालयों, और अंतिम तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है ।

(ख) और (ग) : ग्राम न्यायालयों में कम्प्यूटरीकृत/तकनीकी सक्षम न्यायालयों की संख्या और लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध-2** पर है ।

****

उपाबंध-1

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2194, जिसका उत्तर 21.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

राज्य-वार कार्यरत ग्राम न्यायालयों की स्थिति और अंतिम तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामले

क्र.सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	संचालित ग्राम न्यायालयों की संख्या	अंतिम तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या
1.	पंजाब	2	783
2.	केरल	30	29948
3.	महाराष्ट्र	26	4851
4.	राजस्थान	45	59051
5.	ओडिशा	20	22679
6.	झारखंड	1	18
7.	कर्नाटक	2	57
8.	मध्य प्रदेश	89	16675
9.	हरियाणा	2	1319
10.	उत्तर प्रदेश	72	79084

स्रोत: उच्च न्यायालयों/ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा

उपाबंध-2

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2194, जिसका उत्तर 21.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

राज्य-वार कार्यरत ग्राम न्यायालयों की स्थिति और अंतिम तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कम्प्यूटरीकृत/तकनीकी सक्षम ग्राम न्यायालयों की संख्या	लंबित मामले
1.	पंजाब	2	276
2.	केरल	30	21927
3.	महाराष्ट्र	0	4019
4.	राजस्थान	45	39054
5.	ओडिशा	16	47350
6.	झारखंड	0	31
7.	कर्नाटक	2	101
8.	मध्य प्रदेश	85	13241
9.	हरियाणा	2	1077
10.	उत्तर प्रदेश	30	97234

स्रोत: उच्च न्यायालयों/ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा

****